

प्रेषक,

आलोक रंजन,  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1- समस्त जिलाधिकारी,          | 2- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, |
| उत्तर प्रदेश।                 | उत्तर प्रदेश।                  |
| 3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, |                                |
| उत्तर प्रदेश।                 |                                |

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ, दिनांक 04 जनवरी, 2016

विषय:- प्रदेश के सभी जनपदों में दिनांक 27 जनवरी से 03 फरवरी 2016 तक "मातृत्व सप्ताह" आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्ष 2015-16 को मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। चिकित्सा अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-596/पांच-9-2015-9-(127)/12टी०सी०, दिनांक 27 अप्रैल 2015 के माध्यम से सभी जनपदों में इस रणनीति के तहत ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवसों को सुहृण करते हुए मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं को जन समुदाय तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। तदक्रम में ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के सफल संचालन हेतु प्रदेश की समस्त सवा तीन लाख प्रथम पंक्ति की कार्यक्रियाँ यथा ए०एन०एम०, ऑगनबाड़ी तथा आशाओं को सामूहिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

आप जानते हैं कि माँ एवं शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए कुपोषण से बचाव एवं समुचित पोषण अत्यन्त आवश्यक है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को देखभाल की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि कुपोषण की शुरूआत माँ के गर्भ से ही हो जाती है। विभिन्न शोध दर्शाते हैं कि बाल्यकाल में होने वाले लगभग 50 प्रतिशत कुपोषण का सम्बन्ध गर्भावस्था के दौरान मातृ स्वास्थ्य सम्बन्धी कारकों से जुड़ा होता है। यदि गर्भवती महिला की समय रहते सही जाँच हो जाये और उसमें कुपोषण व खतरे के लक्षणों का पता चल जाये तो बच्चे और माँ दोनों को स्वस्थ्य और सुपोषित रखा जा सकता है। इस रणनीति में स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ राज्य पोषण मिशन, आई०सी०डी०एस० विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, पंचायती राज विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा समेकित रूप से कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश में लगभग 50 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में खून की कमी (एनीमिया) पायी जाती है, जो अत्यधिक मातृ मृत्यु दर का कारण भी है। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था के दौरान मुख्य जटिलताओं की समय से पहचान, इलाज व आवश्यकता होने पर सन्दर्भन अत्यन्त

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आवश्यक है। इसके लिए हर माह गाँव स्तर पर होने वाले ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवसों के दौरान गर्भवती महिलाओं के खून व पेशाब की जाँच, ब्लड प्रेशर की जाँच तथा गर्भ की जाँच होनी आवश्यक है, जिससे समय रहते जटिलताओं की पहचान हो सके व उनकी तथा गर्भस्थ शिशु की जान बचायी जा सके। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्व में भी विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं।

वर्ष 2013-2014 में यूनिसेफ द्वारा कराये गये ऐपिड सर्व ऑफ चिल्ड्रेन के आंकड़े (<http://wcd.nic.in/sites/default/files/state%20rsoc/pdf>) गर्भवती महिलाओं के दौरान की जाने वाली देखभाल के संदर्भ में निम्न तथ्य दर्शाते हैं :-

- (क) मात्र 64 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का ही पंजीकरण हो पाया।
- (ख) मात्र 28 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान 4 या 4 से अधिक जांचे हो पायी।
- (ग) मात्र 7.6 प्रतिशत महिलाओं को 100 या 100 से अधिक आयरन की गोलियां प्राप्त हो पायीं।
- (घ) केवल 4.3 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं ने 100 या 100 से अधिक आयरन की गोलियां खायीं।
- (ङ.) केवल 2.7 प्रतिशत महिलाओं द्वारा समस्त प्रसव पूर्व सेवायें प्राप्त करायी जा सकीं।

माह सितम्बर में राज्य पोषण मिशन और आई0सी0डी0एस0 विभाग ने मिलकर वजन दिवस चलाते हुये 13 लाख अति कुपोषित बच्चों की पहचान की ताकि उनको बेहतर पोषण सुविधायें प्रदान की जा सकें। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग और राज्य पोषण मिशन द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण व गुणवत्तायुक्त सेवायें प्रदान करने के लिये दिनांक 27 जनवरी 2016 से 03 फरवरी 2016 तक मातृत्व सप्ताह का आयोजन किया जाना है।

#### 1- मातृत्व सप्ताह के उद्देश्य

मातृत्व सप्ताह को आयोजित करने के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं-

- गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण बढ़ाना।
- सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की जांच करना और उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाये उपलब्ध कराना।
- जटिलता से ग्रसित महिलाओं की पहचान करना तथा प्राथमिकता के आधार पर उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं संदर्भित करना, जिससे उनका सतत फालोअप एवं सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जा सके।
- सभी गर्भवती महिलाओं से सम्पर्क स्थापित कर संस्थागत प्रसव में वृद्धि लाना।
- ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवसों में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

## २- ए०एन०एम० के क्षेत्र के केस लोड का आंकलन करना

एक ए०एन०एम के क्षेत्र में ७-८ गांव अथवा आशा क्षेत्र आते हैं। इन गांवों के लाभार्थियों को वह आंगनबाड़ी और आशा के सहयोग से प्रति माह अधिकतम ०८ ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवसों के माध्यम से आच्छादित करती है। एक आशा के क्षेत्र में (लगभग १००० जनसंख्या पर) एक वर्ष में अनुमानतः २५-३० महिलायें गर्भवती होती हैं जिनको चार सम्पर्क के माध्यम से सभी प्रसव पूर्व सेवायें प्रदान की जाती हैं। सामान्यतः गांव में गर्भ का पता तीन माह के पश्चात ही हो पाता है। अतः एक समय में एक आशा के क्षेत्र में ३-९ माह के मध्य गर्भ वाली लगभग १२-१५ महिलायें मिलेंगी। इस प्रकार एक ए०एन०एम० उपकेन्द्र क्षेत्र में अनुमानतः ९६-१२० गर्भवती महिलायें सेवाओं के लिये आयेंगी। मातृत्व सप्ताह का आयोजन मुख्यतः ए०एन०एम० उपकेन्द्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों में ए०एन०एम० व आशा के सहयोग से किया जायेगा। इस हेतु गांव व उपकेन्द्र के केस लोड का सही आंकलन अत्यन्त आवश्यक है। इन गर्भवती महिलाओं को ही मातृत्व सप्ताह में आच्छादित किया जाना होगा एवं इनकी सूची मातृत्व सप्ताह से ७ दिन पूर्व आशा व आंगनबाड़ी द्वारा बना ली जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी महिलाओं का चिन्हांकन २० जनवरी, २०१५ तक पूर्ण हो जाये। गांव, उपकेन्द्र, ब्लॉक व जनपद स्तर पर अनुमानतः गर्भवती महिलाओं का केसलोड निम्नानुसार अपेक्षित है-

गांव	उप केन्द्र	ब्लॉक में प्रति एक लाख की जनसंख्या पर गर्भवती महिला की संख्या	जनपद	राज्य
१२-१५	९६-१२०	१२००-१५००	कुल ब्लॉकों के आधार पर	२०-२५ लाख

## ३- मातृत्व सप्ताह को आयोजित करने की रणनीति

- ✓ मातृत्व सप्ताह २७ जनवरी से ०३ फरवरी २०१६ तक चलाया जायेगा। "मातृत्व सप्ताह" के प्रत्येक दिन प्रातः ९:०० बजे से सायं ४:०० बजे तक ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के स्थल/आंगनबाड़ी केन्द्र पर सभी गर्भवती महिलाओं की जांच की जायेगी। इस अभियान में सभी गर्भवती महिलाओं का सही चिन्हांकन करना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि कोई भी महिला छूट ना जाये।
- ✓ किन्हीं अपरिहार्य कारणवश यदि कुछ महिलायें छूट जायें तो उन्हें आच्छादित करने हेतु दिनांक ०४फरवरी, २०१६ को उपकेन्द्र पर एक अतिरिक्त दिवस का आयोजन करा लिया जाये। इसी दिन ए०एन०एम० आशा और आंगनबाड़ी के सहयोग से मातृत्व सप्ताह की उपलब्धियों की रिपोर्ट संकलित करेगी।
- ✓ प्रत्येक दिवस पर हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी वाली महिलाओं की पहचान की जायेगी तथा दिनांक ०५ फरवरी २०१६ को उन्हें क्षेत्र की ब्लॉक चिकित्सा इकाइयों

- 
- १- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - २- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अथवा जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों पर हाई रिस्क क्लीनिक पर जाँच व उपचार हेतु सन्दर्भित किया जायेगा।

- ✓ मातृत्व सप्ताह के दसवें दिन दिनांक-05 फरवरी 2016 को प्रत्येक ब्लॉक चिकित्सा इकाइयों एवं जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों पर चिन्हित हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी वाली महिलाओं (High risk pregnant mothers-HRP) की क्लीनिक संचालित की जायेगी जिसमें सभी 8 दिनों में उस क्षेत्र की हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी वाली महिलाओं को उपचार दिया जायेगा।

4- **मातृत्व सप्ताह के पूर्व की तैयारी-**

- ✓ दिनांक 11 जनवरी को सभी जिलाधिकारी अपने जनपद के ब्लॉक स्तर तक के सभी सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मातृत्व सप्ताह के आयोजन हेतु बैठक कर रणनीति तैयार कर लें।
- ✓ दिनांक 15 जनवरी को सभी ब्लॉकों पर ए०एन०एम०, आशा व आंगनबाड़ी का उन्मुखीकरण कर टैलीशीट उपलब्ध करा दी जाये। यह टैलीशीट दिनांक 20 जनवरी तक भरकर ए०एन०एम० के माध्यम से ब्लॉक तक आ जानी चाहिए।
- ✓ समस्त अभियान को संचालित करने हेतु जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जायेगी।
- ✓ सभी गाँवों में आशा व आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों मातृत्व सप्ताह के 10 दिन पूर्व आपसी सहयोग से टैली शीट में सभी गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण पूर्ण करेंगी व उन्हें उनके गाँवों में होने वाले मातृत्व सप्ताह के निर्धारित दिवस पर साथ चलने के विषय में जानकारी देंगी। आशा गर्भवती महिलाओं की सूची को आंगनबाड़ी कार्यकत्री के साथ साझा करेगी एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री अपने सर्वे के आंकड़ों से गर्भवती महिलाओं के नाम का मिलान करते हुए दोनों अपनी सूची अद्युनान्त करेंगी।
- ✓ स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु क्रियाशील वजन मशीनों की उपलब्धता, खून की हीमोग्लोबिन जाँच, पेशाब की शुगर व एल्ब्यूमिन जांच हेतु उपकरणों की व्यवस्था, ब्लड प्रेशर उपकरण की व्यवस्था, जांच की गतिविधि से सम्बन्धित विभिन्न प्रारूपों की प्रिंटिंग एवं उसकी समस्त स्तरों पर उपलब्धता सुनिश्चित कराई जायेगी। साथ ही मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम०सी०पी०कार्ड) तथा सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका पर्याप्त संख्या में मुद्रित करा कर उपलब्ध करा दी जायेगी।
- ✓ इसके साथ-साथ निर्धारित दिवस पर सत्र स्थल पर गर्भवती माताओं की समस्त जांचों हेतु बैठाने, लिटाने एवं निजता सम्बन्धी सभी व्यवस्थायें

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सुनिश्चित करना भी स्वास्थ्य विभाग का उत्तरदायित्व होगा। इस कार्य में आई0सी0डी0एस0 व पंचायती राज के विभाग से पूर्ण सहयोग लिया जायेगा।

- ✓ स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रवार/उपकेन्द्र वार/विकास खण्ड वार चिन्हीकृत की गयी महिलाओं की पूर्ण संकलित संख्या को निर्धारित प्रारूप पर जनपद स्तर/जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
- ✓ नोडल अधिकारी पर्यवेक्षकों व ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षकों के चिन्हांकन एवं नियुक्ति पत्र निर्गमन आदि की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।
- ✓ ए0एन0एम0, ग्राम प्रधान, नोडल अधिकारी पर्यवेक्षकों व ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षकों, तथा बाल विकास विभाग से इतर अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण मातृत्व सप्ताह के पूर्व जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
- ✓ जनसहभागिता सुनिश्चित करने हेतु मातृत्व सप्ताह के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता सम्बन्धी कार्यवाही-आई0सी0डी0एस0, पंचायतीराज एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आदि विभागों के माध्यम से करायी जायेगी।

#### 5- मातृत्व सप्ताह का दिवसवार/उपकेन्द्रवार माइक्रोप्लान बनाना-

- ✓ प्रत्येक माह ए0एन0एम0 अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों में अधिकतम 8 सत्रों का आयोजन प्रत्येक बुधवार और शनिवार को नियत स्थल पर करती है। इसी प्रकार मातृत्व सप्ताह के 8 दिन ए0एन0एम0 के पूर्व निर्धारित माइक्रोप्लान के अनुसार निर्धारित सत्र स्थल पर ही लगातार मनाये जायेंगे।
- ✓ मातृत्व सप्ताह (27 जनवरी से 03 फरवरी 2016) के दौरान पड़ने वाले बुधवार एवं शनिवार को सत्र ए0एन0एम0 द्वारा वी0एच0एन0डी0 मार्ड्रोप्लान के अनुसार पूर्व निर्धारित गावों में मनाये जायेगे।
- ✓ शेष दिवसों को मातृत्व सप्ताह के माइक्रोप्लान के अनुसार क्रमवार चिन्हित गांवों में मनाया जायेगा। इन 8 दिनों में केवल मातृ स्वास्थ्य व पोषण सेवायें दी जायेगी। इस प्रकार सभी उपकेन्द्रों की एक कार्ययोजना बनायी जायेगी।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

## मातृत्व सप्ताह के 08 दिवसों का दिवसवार माइक्रोप्लान (27 जनवरी से 05 फरवरी 2016)

बुधवार 27.01.2016	बूहस्पतिवार 28.01.2016	शुक्रवार 29.01.2016	शनिवार 30.01.2016	रविवार 31.01.2016	सोमवार 01.02.2016	मंगलवार 02.02.2016	बुधवार 03.02.2016	बूहस्पतिवार 04.02.2016	शुक्रवार 05.02.2016
पहला दिन	दूसरा दिन	तीसरा दिन	चौथा दिन	पांचवा दिन	छठा दिन	सातवां दिन	आठवां दिन	नौवां दिन	दसवां दिन
वी0एच0एन0 डी0 माइक्रोप्लान के चतुर्थ बुधवार वाला गांव	वी0एच0एन0डी0 माइक्रोप्लान के पहला शनिवार दूसरा बुधवार वाला गांव	वी0एच0एन0डी0 माइक्रोप्लान के शनिवार दूसरा बुधवार वाला गांव							

### 6- मातृत्व सप्ताह के दिवसों की तैयारी-

- ✓ प्रत्येक गांव में मातृत्व सप्ताह हेतु चयनित दिन पर गर्भवती महिलाओं की पूर्ण जांचे की जायेंगी तथा जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं (High risk pregnant mothers-HRP) की पहचान करते हुये उन्हें दसवें दिन (05 फरवरी 2016) को ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ANC-HRP क्लीनिक पर जाने की सलाह दी जायेगी। High risk pregnant mothers-HRP की सुलभ पहचान हेतु सभी जनपदों द्वारा **लाल बिन्दी एवं HRP मोहर/सील** का उपयोग किया जायेगा और इसे मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड के ऊपर चिपकाया एवं लगाया जायेगा, जिससे कि सामुदायिक चिकित्सा इकाई पर पहुँचने पर उसको प्राथमिकता मिल सके।
- ✓ इस प्रकार चिन्हित सभी जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं (High risk pregnant mothers-HRP) को ब्लॉक चिकित्सा इकाइयों एवं जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों पर लेकर आने का उत्तरदायित्व आशाओं का होगा।
- ✓ ब्लॉक चिकित्सा इकाइयों एवं जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों पर दिनांक 05 फरवरी, 2016 को High risk pregnant mothers (HRP) क्लीनिक संचालित करना, ब्लॉक प्रभारियों का उत्तरदायित्व होगा।
- ✓ दिनांक 05 फरवरी, 2016 को सभी ए0एन0एम0 के गांव में चिन्हित High risk pregnant mothers (HRP) को ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों पर बुलाकर उनकी चिकित्सकों द्वारा जांच की जायेगी। इस कार्य में सहयोग हेतु सभी ए0एन0एम0 उस दिन अपने ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालय पर उपस्थित रहेंगी।
- ✓ मातृत्व सप्ताह के दौरान यदि कोई महिला बहुत गम्भीर अवस्था में मिलती है तो उसका 102/108 एम्बुलेन्स के माध्यम से तुरन्त सन्दर्भन किया जायेगा। गांवों में मातृत्व सप्ताह की सूचना स्वास्थ्य व आई0सी0डी0एस0 विभाग के कर्मियों द्वारा प्रचारित की जायेगी।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- ✓ मातृत्व सप्ताह के आयोजन हेतु समस्त प्रचार-प्रसार के कार्य जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किये जायेंगे। सभी प्रधानों को उनके क्षेत्रों में 08 दिवसों में आच्छादित किये जाने वाले गांवों की सूची तहसील दिवस पर उपलब्ध करा दी जायेगी, जिससे वे ग्रामवासियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त करने हेतु कार्यवाही कर सकें।
- ✓ मातृत्व दिवस के दिन सभी महिलाओं की निम्न जांचें की जायेगी:-
  - वजन
  - हीमोग्लोबिन की जाँच
  - यूरीस्टिक्स द्वारा पेशाब में एल्ब्यूमिन व शुगर की जांच
  - सभी गर्भवती महिलाओं की पेट (गर्भ) की जाँच
  - सभी महिलाओं के मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड व आर0सी0एस0 रजिस्टर में सूचना भरी जायेगी।
  - जिन महिलाओं में किसी खतरे का चिन्ह पाया जाये या फिर गंभीर एनीमिया से ग्रसित हों उनके कार्ड पर लाल बिन्दी एवं HRP मोहर/सील लगाते हुये उनको पूर्व निर्धारित तिथि पर (दसवें दिन) ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों पर संदर्भित किया जायेगा।
  - HRP (जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं) का नाम अलग से चिन्हांकित किया जायेगा ताकि बाद में इनकी सूचना उपकेन्द्रवार जनपद पर भेजी जा सके।
  - एनीमिक गर्भवती महिलाओं की सूची सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रखी जायेगी और इन सभी महिलाओं में इंजेक्शन आयरन सुक्रोज और Blood Transfusion की व्यवस्था जिला महिला चिकित्सालय/चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर करायी जायेगी।

7- "मातृत्व सप्ताह" का आयोजन एक वृहद कार्य है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ आई0सी0डी0एस0 विभाग व पंचायती राज विभाग की प्रमुख भूमिका है। यह कार्य इतना विशाल है कि इसमें पूर्ण सफलता हेतु सरकार के सभी विभागों का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। इस अभियान को सफल बनाने व प्रचार प्रसार करने हेतु ग्राम प्रधान, ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के फील्ड स्तरीय कर्मियों को हर ग्राम सभा स्तर पर नामित करते हुये उन्हें उनके गांव में होने वाले मातृत्व सप्ताह के दिन के बारे में पूर्व से जानकारी देनी होगी ताकि वह पहले से सम्बन्धित दिवस पर सहयोग देने के लिये तैयार रहें।

8- मातृत्व सप्ताह के दौरान आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा निम्न सहयोग दिया जायेगा-

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

### **8.1 ग्राम स्तर पर**

- ✓ आंगनबाड़ी कार्यक्रमी आशा द्वारा बनायी गई गर्भवती महिलाओं की सूची को अपने सर्वे की सूची से मिलान करते हुये उसे अधुनान्त करेगी।
- ✓ मातृत्व दिवस के दिन वह गर्भवती महिलाओं को स्थल तक लाने में सहायता देगी तथा सभी महिलाओं को उस सप्ताह मिलने वाले अनुपूरक पोषाहार का वितरण करेगी।
- ✓ गर्भवती महिलाओं के परिवारों को मातृत्व दिवस के पूर्व जागरूक करेगी।

### **8.2 ब्लॉक स्तर पर**

- ✓ प्रत्येक ब्लॉक में मुख्य सेविका को ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की टीम के साथ मातृत्व सप्ताह के आठों दिन अनुश्रवण हेतु सम्बद्ध किया जायेगा।
- ✓ आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी के निर्देशन में गाड़ी आदि की व्यवस्था की जायेगी।
- ✓ बाल विकास परियोजना अधिकारी को भी अनुश्रवण हेतु जनपदीय नोडल अधिकारी के साथ जोड़ा जा सकता है।

### **8.3 जनपद स्तर पर**

- ✓ जनपद स्तरीय प्रशिक्षण में स्वास्थ्य विभाग को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- ✓ ब्लॉक स्तरीय माइक्रोप्लान व अनुश्रवण प्लांन बनाने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

9- मातृत्व सप्ताह का अनुश्रवण- मातृत्व सप्ताह का अनुश्रवण दो स्तर से किया जायेगा। विभागीय अनुश्रवण स्वास्थ्य विभाग द्वारा आई0सी0डी0एस0 के सहयोग से किया जायेगा तथा बाह्य अनुश्रवण जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में नामित दो नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

9.1 स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में 5 मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षक के रूप में नामित किये जायेंगे जिनमें 4 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के मेडिकल ऑफिसर हो सकते हैं और 1 अन्य ब्लॉक/अतिरिक्त/नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से हो सकते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा ब्लॉक के 25 उपकेन्द्रों को 5 क्लस्टरों में विभाजित किया जायेगा। प्रत्येक क्लस्टर पर एक मेडिकल ऑफिसर को पर्यवेक्षक बनाते हुये उसे उपकेन्द्र की दिवसवार कार्ययोजना दे दी जायेगी। हर पर्यवेक्षक मेडिकल ऑफिसर के साथ टीम बनाते हुये एक मुख्य सेविका को जोड़ा जायेगा ताकि दोनों विभागों का गतिविधि में योगदान रहे और अनुश्रवण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इस टीम द्वारा मातृत्व सप्ताह के आठों दिन अलग-अलग स्थलों का अनुश्रवण किया जायेगा।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 9.2 प्रत्येक ब्लॉक पर जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय दो नोडल अधिकारियों को नामित किया जायेगा। प्रत्येक दिन एक नोडल अधिकारी द्वारा ब्लॉक में से किन्हीं 5 स्थलों का अनुश्रवण करते हुये उनके द्वारा सूचना जिलाधिकारी को सौंपी जायेगी।
- 10- उपरोक्तानुसार जनपद में मातृत्व सप्ताह के पश्चात प्रत्येक ब्लॉक में चिकित्साप्रभारी द्वारा कुल गर्भवती महिलाओं जिनकी जांच की गई तथा कुल HRP महिलाओं की सूची को संकलित करते हुये सूचना जनपद स्तर पर प्रेषित की जायेगी। प्रत्येक उपकेन्द्र पर ए०एन०एम० द्वारा गर्भवती महिलाओं की समस्त सूचना आर०सी०एच० रजिस्टर में अंकित की जायेगी। इस रजिस्टर में दर्ज गर्भवती महिलाओं की जांच प्रत्येक माह करते हुये उसे अद्यावधिक रखा जायेगा और उनको स्वस्थ व पोषित रखने का प्रयास जारी रखा जायेगा। आगामी माहों में नयी गर्भवती महिलाओं की सूचना को भी इसी रजिस्टर में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

भवदीय,

(आलोक रंजन)  
मुख्य सचिव।

संख्या-1/2016/1674(1)/पांच-9-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास, ३०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, ३०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, ३०प्र० शासन।
4. प्रमुख सचिव, खाटद्य एवं रसद विभाग, ३०प्र० शासन।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ३०प्र०।
6. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ३०प्र०।
7. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, ३०प्र०।
8. राज्य प्रतिनिधि, यूनिसेफ, ३०प्र०।
9. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई०सी०डी०एस०, ३०प्र०।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)  
प्रमुख सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

## I yXud&1

ekrRo I lrg dsmRrjnkf; Ro fu/kj .k gsjqfoLrr fn'kkunsk

xfrfot/k	nkf; Ro
<p><b>ekrRo I lrg ds i wZ dh xfrfot/k; ka</b>  <b>Vsyh 'kh&amp;Vik: i 1½</b></p> <p>Vsyh 'khV dks NjokukA bl Vsyh 'khV ea ekr tkp I cdkh I eLr fooj.k I yXu gkxKA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I Hkh xkphka ea vk'kk ekrRo I lrg ds 10 fnu i wZ <b>Vsyh 'kh&amp;Vik: ik 1½</b> I Hkh xHkbh efgykvka dk fpplghaj.k i wZ djxh o mUg muds xkoka ea gksus okys ekrRo I lrg ds fu/kkj r fnol ij I kFk pyus ds fo"k; ea tkudkjh nkh A vk'kk xHkbh efgykvka dh I ph dks vkauckMh dk; Zl=hz ds I kFk ckA/xh rFkk dk; Zl=hz Hkh vius I oZ ds vkauckMh I s xHkbh efgykvka ds uke dk feyku djrs qj xHkbh efgykvka dh I ph dk I R; ki u djxhA</li> <li>• Vsyh 'khV dh rhu ifr; kaHkjh tk; xhA , d I ph CykMh dks nh tk; xh rFkk nks I fp; ka ekrRo fnol ij mi ;kx gsrq j[kh tk; xhA ekrRo fnol ij nks ifr; ka ea ½dkczu yxkdj½ I puk vifdr dh tk; xhA eyy ifr dthnij jgsh rFkk dkczu dkwh ,0, u0, e0 ds ek/; e I s CykMh dks mi yC/k djk; h tk; xhA</li> <li>• iR; d Vsyh 'khV ea MCTS u0 Hkh Mkyk tkuk vko'; d gA bl grqiqR; d Vsyh 'khV ea dkye u0 2 fn; k x; k gA tks efgyk,a i wZ I s iathdir gks mudk MCTS u0 vk'kk }jkj igys I s Mky fn; k tk; xkA u; h xHkbh efgykvka dk MCTS u0 ekrRo I lrg ds lk'pkr dE; Wj ea Mkyk tk; xkA</li> <li>• iR; d xk d ea vk'kk@vkauckMh dk; Zl=hz }jkj Vsyh 'khV ea dkye 1 I s 6 rd igys I s Hkj fy; k tk; xk rFkk dy fpplghidr efgykvka dh I {; k dk dy ;kx 'khV ds vUr ea dj fn; k tk; xkA1&amp;6 dkye rd Hkj Vsyh 'khV dks vk'kk }jkj ,0, u0, e0 ds I kFk I k&gt;k fd; k tk; xk ftI I s fd ykltfLVDI vkrn fd 0; oLFkk igys I s dh tk I ds <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vsyh 'khV ea dkye 7&amp;20 ekrRo fnol ds fnu ,0, u0, e0 }jkj Hkj tk; xkA</li> </ul> </li> </ul> <p><b>ekrRo I lrg dk elb0kyku cukuk&amp;Vik: i 2½</b></p>	<p>e{; fpfdRI k vf/kdkjh@ CykMh fpfdRI k iHkjh@  vk'kk@vkakuckMh  @, 0, u0, e  vk'kk@ ,0, u0, e  , 0, u0, e0@CykMh  fpfdRI k iHkjh@vk'kk  CykMh fpfdRI k iHkjh@ ,0, u0, e0@vk'kk@vka  uckMh dk; Zl=hz  , 0, u0, e0@vk'kk  , 0, u0, e0@vk'kk</p>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- , 0, u0, e0]vk'kk }jkj nh xbZ V\$y h 'khV dh I puk dk i z kx djrs gq s midlñz dh 8 fnol dh ; kstu cuk; xhA%lk: lk 2½
- iR; d midlñz ds vUrxz 7&8 xkp vkrs gA ekrRo l lrkg ds gj fnu ,d xkp ea ekrRo fnol dk vk; kstu gkxkA bl i dkj ; fn CyKkI ea 25 midlñz gks rks vkB fnu ea dy 200 I =ka dk vk; ktu CyKkI ea fd; k tk; xkA
- tuink }jkj I = LFky dk fu/kkj.k djrs I e; ; g /; ku nuk gkxk fd LFky xkp ds chpk&chp gks rkfd l Hkh xHkbh efgyk, a l ok yus vkl kuh I svk I dA
- iR; d midlñz dh ,0, u0, e0 }jkj vi us {ks= ds l Hkh xkp dh I puk ,df=r djrs gq s pkj ifr; ka ea midlñz lyku%lk: lk 2½uk; k tk; xkA ,d ifr ,0, u0, e0 ds ikl jgkxk rFkk rhu ifr; ka CyKkI dk; kly; Hksth tk; xhA CyKkI Lrj I s ,d ifr CyKkI dk; kly; eI ,d ifr CyKkI esMdy vklQI j lk; b{kd grj ,d ifr ftyk Lrjh; dUvky : e o ,d ifr CyKkI ij j [kus ds fy; s mi ; kx ea yk; h tk; xhA midlñz ekbØkyku ea ,0, u0, e0 ds vkbka I = fnol ds dI ykM] I = LFky] vklkk vkkuckMh dk; Zd=h dk uke I EcUkh tkudkjh gkxkA l Hkh dk; ZdrkVka ds ekckby u0 dh tkudkjh Hkh ml ea gkxk rkfd CyKkI esMdy vklQI j lk; b{kd o ftyk lk; b{kd mul s I Ei dZ dj I dA
- ekbØkyku dh ,d ifr ,0, u0, e0 }jkj j [kh tk; xh o nulj h I kerlkf; d fpfdRI k bZdkbZ@CyKkI fpfdRI k bdkbZ ea Hksth tk; xhA
- bl i dkj ,d CyKkI ij iR; d 25 midlñz ds 25 ekbØkyku gkxkA

CyKkI Lrjh; fnol okj I = ekbØkyku%lk: i4%

- 8 fnu ea l sgj fnu iR; d midlñz ds fdI h ,d xkp ea ekbØkyku ds vuI kj ekrRo fnol dk vk; kstu gks jgk gkxkA bl i dkj gj fnu de I s de 25 I =ka dk vk; kstu gks jgk gkxkA iR; d fnol dk ik: i 4 ij ,d CyKkI Lrjh; I = lyku gkxkA bl i dkj ij s ekrRo

CyKkI fpfdRI k iHkkjh@  
, 0, u0, e0@izkku

eI; fpfdRI k vf/kdkjh  
@CyKkI fpfdRI k iHkkjh

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

LkIrkg ds nkku gj CykL ij 8 fnu ds de ; s de 8  
ik: i 4 lkjst; xA

- fnol okj I = dh l puk rFkk ml fnu vk; kstr gks  
okys I = lyku ea fpulgkfd dr xHkOrh 1/2: lk 1 o ik: i  
2 ; kfu fd mi dlnz dh dk; l; kstuk l s yss gq; efgvkva dh l puk **CykL Lrj ij ik: i 4** ea pkj  
ifr; ka ea r\$ kj dh tk; xhA ,d ifr CykL ij jgsxh  
nli jh CykL esMdy vNQI j lk; b{kld dks nh tk; xh  
,d ifr tuin Lrj ij dUvky : e l s l k>k dh  
tk; xh rFkk ,d ifrtuin ea dUvky : e l s ukMy  
lk; b{kldka dsfy; sck/h tk; xhA
- iR; d CykL ds l Hkh esMdy lk; b{kldka dks 8 fnol ka  
dks vk; kstr gks okys I =ka dh l puk ik: lk 4 ds  
ek; e l s nh tk; xhA

### **dkfed 0; oLFk**

CykL Lrj ij 5 esMdy vNQI j o tuin Lrj l s ifr CykL  
ij 2 ukMy vf/kdkjh lk; b{kld ds : lk ea ulfer fd; s tk; xA  
iR; d vf/kdkjh dks ,d fu; fDr i = fn; k tk; xhA 1/2: i 6½

### **CykL Lrj ds vf/kdkjh; ka}jk dh tksokyh lk; b{kldka ; kstuk**

- iR; d CykL ea vuqkur% 25&30 mi dlnz gks vks  
mrurh gh ,0, u0, e0 gkxhA
- ekRo l Irkg ds fnu iR; d CykL ij 25&30 I =  
vk; kstr fd; s tk jgs gkxhA
- gj CYkL {ks ea 5 CykL esMdy vNQI j lk; b{kld dh  
Vhe cuk; h tk; xhA buea l s 4 MKDVj jk"Vh; cky  
LokLF; dk; Øe dh Vhe dh o vU; ,d@nks MKDVj  
vk; lk ds gkxhA
- 5 mi dlnz tksd HkSkf syd fLFkfr ds fgl kc l s ,d  
l Fk vk jgs gk muds DyLVj cuk fn; s tk; xA bl  
i dkj 25 mi dlnz ij 5 DyLVj gkxhA lk 3/4gj  
DyLVj ea gj fnu 5 I = pyk; s tk jgs gkxhA bl i dkj  
iR; d DyLVj ea 8 fnuka ea dty 40 I =ka dk vk; kst u  
fd; k tk jgk gkxhA DyLVj ; kstuk dh ,d ifr CykL  
ij jgsxh nli jh CykL esMdy vNQI j lk; b{kld ds  
ikl rFkk nks ifr; k tuin Lrj ij dUvky : e l s  
l k>k dh tk; xh tks bl dks tuin Lrjh; ukMy  
lk; b{kldka ds l Fk ck/h xA
- gj lk; b{kld ny ea ,d CykL esMdy vNQI j  
lk; b{kld rFkk ,d vkbDI hOMHO, l 0 dh e[; l fodk dh  
fu; fDr dh tk; xhA

ftykf/kdkjh] e[; fodkl  
vf/kdkjh]

Mh0i h0vkj0vk0@vf/k'kkl h  
vf/kdkjh Vkmu ,fj; k o  
uxj fuxe@vk; Dr uxj  
fuxe

ftykf/kdkjh@e[; fodkl  
vf/kdkjh]

e[; fpfdRI k vf/kdkjh  
CykL fpfdRI k iHkjh@  
ftyk dk; Øe vf/kdkjh@  
cky fodkl i fj; kstuk  
vf/kdkjh

- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- iR; d lk; b{kd ny dks vkoVr {k= dh I puk ik: i 3  
ij Hkjh tk; xkA
- gj Cykli esMdy vklQI j lk; b{kd dks , d DyLVj ns  
fn; k tk; xkA l kfk eafuEu l yXud fn; s tk; xkA
- ✓ 1 fu; fpr i=1/2 lk: i 6½
- ✓ DyLVj dk; z kst uk 1/2 lk: i 3½
- ✓ 5 midhna dh dk; z kst uk 1/2 lk: i 2½ & gj midhna dh  
, d ifr vks
- ✓ 8 Cykli Lrjh; fnol okj l = ekbdlyku 1/2 lk: i 4½

iR; d fnu gj Cykli esMdy vklQI j lk; b{kd e[;  
l fodk ds l kfk vi us DyLVj ds i kpk's mi dhnz ds , d&, d  
xkoka ea ckjh &ckjh l s tkrs gq s l Hkh mi dhnz ij , d &, d  
l =ka dk vuqo.k djxkA l = nqkus ds lk'pkr og VSy  
'khv ea vi uk uke fy[krs gq s glrk{kj Hkh djxkA bl i dkj  
iR; d fnu 5 , 0, u0, e0 ds ekrRo fnol dk vuqo.k djrs  
gq s 8 fnu ea iR; d esMdy vklQI j lk; b{kd vks e[;  
l fodk dh Vhe }kjk DyLVj ds vlrkr gks okys l Hkh 40  
l =ka 1/2 kr@ ifr'kr½ dk vuqo.k fd; k tk l dskA

### Tuin Lrj dsvf/kdkjh; ka }kjk fd; k tksokyk lk; b{kd

- iR; d Cykli ea nks ukMy vf/kdkjh; ka dks ukfer fd; k  
tk; xkA ; g ukMy vf/kdkjh xkn fy; s xkoka ds  
vf/kdkjh Hkh gks l drs gk ukMy vf/kdkjh cukus dk  
nlf; Ro ftykf/kdkjh@e[; fodkl vf/kdkjh dk glockA
- ukMy vf/kdkjh; ka dks fu; fpr i=] rFkk mi dhnz  
dk; z kst uk 1/2 lk: i 2½ vks fnol okj l = lyku o d[  
ykl 1/2 lk: i 4½ dh 'khv nh tk; xkA
- , d fnu Cykli ea , d gh ukMy vf/kdkjh tk; xkA bl  
i dkj ; fn Cykli ea nks ukMy vf/kdkjh gq rks iR; d  
vf/kdkjh dks ekrRo l lrkg ds nkku de l s de 4 fnu  
dk Hke.k l e; nsuk gkxkA
- Cykli ea xfBrfd; s x; s DyLVj dh I phkh ukMy  
vf/kdkjh dks ns nh tk; xkA
- iR; d fnu , d ukMy vf/kdkjh Cykli ea ik: i 4 dk  
i z kx djrs gq s Hke.k djxkA gj fnu fn; s x; s DyLVj ka  
ea l sfduh 5 l =ka dk vuqo.k djxkA
- bl i dkj 8 fnu ea 40 l = 1/20 ifr'kr½ l =ka dk  
vuqo.k tuin ds ukMy vf/kdkjh }kjk fd; k tk; xkA
- l Hkh I puk vkbDI homho, l 0 foHkkx dh ftyk dk; bde  
vf/kdkjh o Cykli Lrj ij cky fodkl ifj; kst uk  
vf/kdkjh ds l kfk ckjh tk; xk ft l l s fd og ekrRo  
fnol ka ds nkku vif{kr l g; kx ns l ds vks

Cykli esMdy vklQI j  
lk; b{kd@e[; l fodk

ft ykf/kdkjh@e[; fodkl  
vf/kdkjh@e[; fpfdRI k  
vf/kdkjh@

e[; fpfdRI k vf/kdkjh  
@Cykli fpfdRI k iHkkjh@  
ftyk dk; bde vf/kdkjh

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<p>vk'kuckfM; kā dks I g; kx dsfy; sfunf'kr dj I dA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ft ykf/kdkjh@e[; fodkl vf/kdkjh@e[; fpfdRI k vf/kdkjh@ CykM fpfdRI k iHkkjh</li> </ul> <p><b>iplj i k j</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CykM Lrjh; ,0,u0,e0] vk'kk o vk'kuckM dk; dk; kā }jk i kskkgkj forjk ds fnu ; k fQj I keplkf; d cBdkdksnku fd; k tk; skA</li> <li>EkkRo I Irkg ds ckjs ea LFkuh; Lrj ij I keplkf; d tkx#drk gsrq izkl djuk Mxh ,oa ykmM Li hdj vlfn ds ek/; e I A izku@oh0, p0, l0, u0l h0@ik"kh dk I g; kx Hkh i klr fd; k tk; A</li> <li>I Hkh izkuks dks muds {ks ea 08 fnol ka ea vlpNkfnr fd; s tkus okys xkpa dh I ph rgl hy fnol ij mi yC/k djk nh tk; sk ft I ls os xkeokfl ; kā I s i wkZ I g; kx i klr djus gsrq dk; bkgd dj I dA</li> </ul> <p><b>if'kk.k</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tuin Lrjh; &amp;CykM ukMy vf/kdkfj; kā dks mudh ftEenkfj; kā I s voxr djuk</li> <li>CykM Lrjh; &amp; jk"Vh; cky LokLF; dk; Øe ds MkDVj o vk; dk ds MkDVj dks mudh ftEenkfj; kā I s voxr djuk</li> <li>LokLF; folkkx }jkj djk; s tk jgs CykM Lrj ij I Hkh ,0,u0,e0 dk oh0, p0, u0Mh0 if'k{k.k i wkZ djk fy; k tk; skA</li> <li>Hpk; rh jkt foHkkx I s uofuoLpr xke izkuks dks Hkh ,d fnol h; LokLF; o i ksk.k fo"k; kā ij if'k{k.k fn; k tk; skA bl dk; Z dks ipk; rh jkt vf/kdkjh }jkj e[;</li> </ul>	<p>ft ykf/kdkjh@e[; fodkl vf/kdkjh@e[; fpfdRI k vf/kdkjh@ CykM fpfdRI k iHkkjh</p> <p>ft ykf/kdkjh@e[; fodkl vf/kdkjh@e[; fpfdRI k vf/kdkjh@ CykM fpfdRI k iHkkjh@ipk; rh jkt vf/kdkjh</p> <p>ft ykf/kdkjh@e[; fodkl vf/kdkjh@e[; fpfdRI k vf/kdkjh@ CykM fpfdRI k iHkkjh@ipk; rh jkt vf/kdkjh</p>
---	--

- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

fpfDR k vf/kdkjh o ftyk dk; Zde vf/kdkjh ds I g; ks I s I a kfnr fd; k tk; skA if'k{k.k I qf'pr djus dk mRrjnjk; Ro ftykf/kdkjh dk gskA

### yktflVdk

midnokj I q; k dks Cykd Lrj ij tkMrsqg Cykd ds ykm dk vkydu fd; k tk; skA ds ykm ds vkkj ij yktflVd dh 0; oLFkk dh tk; skA vifg ml dks midnokj forfjr fd; k tk; skA

**ekrRo I Irkgels** vk; kstu ea fuEu yktflVdI dh 0; oLFkk LokLF; foHkkx dks iZ I s I qf'pr djuh gkxh

- ghekkysou fLV1 y01 V ds I kfk
- ;jhuVSLVx fLVII
- CyM i{kj ;U=
- ekr f'k'kq I j{kk dkMz
- otu e'ku
- vk;ju Qkfyd ,f M dh xkfy; ka
- I Q enjgM cdyv
- ikuh h fdV
- QhVksdkis@LVksdkis
- Ykky fcunh [krjs I sxfi r efgykvksdfy; s
- i{kkc , df=r djusdsfy; slykfVd fMLikstscy di
- foHkkU i k: i k dks Ni okuk rFkk forj.ka

Cykbh esMdy MKDVj o ukMy vf/kdkfj; kads i k de I s de nks vfrfjDr Cykbh Lrjh; otu e'ku] ch0 i h0 e'ku] vk;ju dh xkfy; kao ,e01 hoi h0 dkMz dh dN vfrfjDr I kexh gkxh pkfg; A

### **okgu dh 0; oLFkk**

i R; d Cykbh ea ifrfnu de I de 6 okgu dh vko'; drk gkxhA 5 esMdy vkfQI j dsfy; s rFkk 1 tiun Lrjh; ukMy vf/kdkjh dsfy; A

ftykf/kdkjh@ed; fodkI vf/kdkjh@ed; fpfdRI k vf/kdjh @Cykbh fpfdRI k iHkkjh@ ,0, u0, e

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadep.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

## **ekrRo fnol dsnkku dh xfrfot/k; ka**

- ekrRo fnol ds , d fnu i<sup>o</sup>z v<sup>k</sup>'kk v<sup>k</sup>xuckM<sup>h</sup> dk; Zd=h ds I kFk feydj I Hkh xHkbh efgykvka dks I fpr djxhA
- ekrRo fnol ds fnu v<sup>k</sup>'kk v<sup>k</sup>xuckM<sup>h</sup> dk; Zd=h v<sup>k</sup> , 0, u0, e I s vi<sup>s</sup>kr g<sup>k</sup>ok fd og ikr% 09 cts igpdj I Hkh 0; oLFkk I fuf'pr dj yA
- ekrRo fnol ds fnu deokj fd; s tkus okys dk; ZfuEu g&
  - ✓ LFky dh r<sup>s</sup> kjh
  - ✓ irh{k<sup>k</sup> djus dk LFku o pVkbZ
  - ✓ mi dj.k] Vhds o jftLVj j [kus ds fy; s est
  - ✓ LokLF; dk; Zd=; ka rFkk xHkbh efgykvka ds fy; s d<sup>i</sup> hZ
  - ✓ xHkbh efgykvka ds fy; s tkp dh r[r@pkj i kbZ
  - ✓ , dkUr e<sup>a</sup> tkp djus ds fy; sink@pnaj
  - ✓ gkFk /kks 'kkjky; rFkk LoPN i<sup>s</sup> ty dh 0; oLFkk
- , 0, u0, e0 fu/kkijr LFky ij ikr% 9 cts rd igp tk; xhA v<sup>k</sup>'kk v<sup>k</sup> v<sup>k</sup>xuckM<sup>h</sup> xHkbh efgyk dks LFky rd yk; xhA ftruh Hkh efgyk; a LFky ij v<sup>k</sup>; xh mudh fuEu tkp dh tk; xh&
  - ✓ i<sup>o</sup> i<sup>o</sup>z tkp
  - ✓ otu
  - ✓ [ku] v<sup>k</sup> i<sup>s</sup>kkc dh tkp
  - ✓ jDrpki dh tkp
  - ✓ I Hkh efgykvka dk ekr` f'k'kq I j{kk dkMZ o v<sup>k</sup>j0I h0, p0 jftLVj Hkj<sup>k</sup> tk; xkA tks efgyk; a u; h xHkbh g<sup>s</sup> mudks u; k dkMZ ns;s gq s i athdj.k fd; k tk; xkA
  - ✓ tks efgyk, a fdI h [krjs ; k fQj xHkhj , uhfe; k I s xfl r g<sup>s</sup> muds dkMZ ij yky fcUnh ,oa HRP ek<sup>g</sup>j@I hy yxkrs gq s 05 Qjojh ds fnu I keplf; d LokLF; d<sup>l</sup>nz ij igpus ds fy; s I mHk<sup>r</sup> fd; k tk; xkA HRP efgykvka dk uke vyx I s fpUgkfd<sup>r</sup> fd; k tk; xk rkfd ckn ea budh I puk mi d<sup>l</sup>hokj tuin ij Hksth tk I da
  - ✓ I Hkh efgykvka dh fpfdRLkh; tkudkjh VSy'khV ds d<sup>l</sup>ye 7&20 rd eaHkjh tk; xhA d<sup>l</sup>nz ij vuqfo.k

Cy<sup>ll</sup> fpdfRI k i<sup>ll</sup>khj  
 @cky fodkl i fj; kstuk  
 vf/kdkjh@ftyk ipk; r  
 jkt vf/kdkjh@ftyk  
 dk; Zd vf/kdkjh

, 0, u0, e0@v<sup>k</sup>'kk@  
 v<sup>k</sup>xuckM<sup>h</sup> dk; Zd=h@xte  
 i zku dh I gk; rk yh tk; s

ftyk/fdkjh@ed; fodkl  
 vf/kdkjh@ed; fpdfRI k  
 vf/kdkjh@cy<sup>ll</sup> fpdfRI k  
 i<sup>ll</sup>khj@ ftyk dk; Zd  
 vf/kdkjh@cky fodkl  
 i fj; kstuk vf/kdkjh

, 0, u0, e0@  
 v<sup>k</sup>'kk@v<sup>k</sup>xuckM<sup>h</sup> dk; Zd=h

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- djus vk; s Cykli esMdy vklQI j lk; bskd o cykli ukMy vf/kdkjh dks vko'; d tkudkjh nsxh rFkk mudsgLrkkj VSyh 'khV ij yxhA
- ✓ iR; sl fnu dh Iekfir ds lk'pkr gj ,0,u0,e  
Cykli Lrj ij Cykli esMdy vklQI j lk; bskd dks  
dy tkr dh xbZ efgkyvka o HRP efgkyvka dh  
I ; k dsckjseacrk; xA bl grqog ik: lk 7 dks  
iz kx easyk; xA
- ✓ I Hkh high risk pregnancy ; kfu fd fpfugr tfVyrk ls xfl r efgkyvka dh I ; k midnokj mi yC/k jgsxhA vk'kk dks bu I Hkh efgkyvka dh I puk vi us ikl j [kuh gksxh
- ✓ nl oafnu iR; sl I keplf; d fpfdRI k bdkbz i j  
tfVyrk ls xfl r efgkyvka dsfy; sdsl vk; kstr  
fd; k tk; xk vkj vko'; d l ok; s tkr o ijk'e kL  
fn; k tk; xkA vk'kk ; g l qf'pr djxh fd ml ds  
xk dhs fpfugr HRP efgyk nl oafnu l ok yus  
vo'; vk; A
- ✓ I Hkh HRPefgyvka dh ekfI d Vsdax dh tk; xA  
 vk'kk vkj vksuckM dk; Zdf=; ka dh Hkh bu  
 efgkyvka dks i Kfkfedrk ds vk/kkj ij QkYksvi  
 djus ds funk fn; s tk; xAnl oafnu 102 , SC; yuH  
 dh l ok; aHkh iz kx easyk; h tk l drh gA
- ✓ ; fn fdI h midnokj ds xk eafdl h dkj.ko'k I =  
 I akfnr ugha gks i k; k rks ml dk vk; kstu ukfufnu  
 , 0, u0, e }jk fd; k tk l drk gA
- ✓ EkkRo I lrkg ds nkjku ; fn dkZefgyk NW tkrh  
 gSrk iR; sl n'kk ea uksafnu ej; fpfdRI k  
 vf/kdkjh @Cykli fpfdRI k iHkkjh , 0, u0, e ds  
 I g; kx midnokj ij fo'kk I =ka dk vk; kstu  
 djk; xA

### i ; bskd

Cykli esMdy vklQI j lk; bskd] ej; I fodk o tuin ukMy  
 vf/kdkjh ds vfrfjDr tuin Lrjh; LokLF; vf/kdkjh o  
 vkbDI homh0, I vf/kdkjh QhYM vf/kdkjh iwlk; k l g; kx nsxhA

- I Hkh Cykli esMdy vklQI j lk; bskd o tuin ukMy  
 vf/kdkjh I ; bskd iR; sl fnu 5 I =ka dk vuqlo.k djrs

Cykli esMdy vklQI j  
 lk; bskd@ej; I fodk o  
 tuin ukMy vf/kdkjh

, 0, u0, e0@vk'kk

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

gq s fuEu xfrfof/k; kan[kx&

- ✓ I = dk l i knujo 0; oLFkk
- ✓ I = fuf'pr LFku o I e; I s gks jgk gS fd ugha
- ✓ otu e'ku o vU; midj.k l gh I s dke dj jgs gfd ugha
- ✓ I okvka dh xqkoRrk
- ✓ ,0, u0, e }jk nh tk jgh I ok; a
- ✓ VSyh 'khV dh mi yC/krk]
- ✓ Lk= ij ekscykbtsku vkk'kk o vkbDI hOMho, I 0 dk l g; kx iklr gks jgk gS fd ugha
- Lk= ij lk; b{.k. ds lk'pkv esMdy vkkQI j lk; b{kd o tuin ukMy vf/kdkjh ik: i 1 ; kfu fd VSyh 'khV ij I e; Mkyrs gq sgLrk{kj dj&A

### fjikSVk

#### n&ud fjikSVk

- lkrfnu I = ds nkku o lk'pkv VSyh 'khV /ik: i 1½ ea ,0, u0, e dklye 7&20 HkjxhA l kFk ea ik: i 9 ea Hkh fnol dh l puk HkjxhA
- lkR; d CykN efMdy vkkQI j lk; b{kd iR; d fnu viusDyLVj dh fji k/Z ik: lk 7 ij ,0, u0, e ds l g; kx l s l dfyr djxkA ; g fji k/Zml fnu dy fpulgkdr] dy tkp dh xbZ rFkk dy HRP efgykva dh l q; k dk dy ; kx gkxkA
- iR; d fnu I = dh l ekflr ij CykN efMdy vkkQI j lk; b{kd }jk nh xbZ fji k/Z ds vkkj ij CykN fpfdRI kikkjh lk gk; d 'kkk vf/kdkjh ds l g; kx l s CykN lrj ij
  - ✓ dy xHkbrh efgyk; afpulgkdr]
  - ✓ dy xHkbrh efgyk; aftudh tkp dh xbZ rFkk
  - ✓ dy HRP efgykva

dh l q; k l cakh l puk l hks www.suposhanup.in dh osl kbV ij tk; xhA ; fn fdI h dkj.lo'k ; g NW tkrh gS tksbl dk l dyu ik: lk 8 ij tuin lrj ij dh tk; xhA ik: lk 8 iR; d n'kk ea fnukd 10 Qojh 2016 rd

ft ykf/kdkjh@ed; fodkl vf/kdkjh

CykN efMdy vkkQI j lk; b{kd@ed; l fodkl o tuin ukMy vf/kdkjh

vf/kdkjh@cky fodkl i f; kstuk vf/kdkjh

ed; fpfdRI k vf/kdkjh @CykN fpfdRI k iHkkjh@ ,0, u0, e0@CykN l pdkd vf/kdkjh

CykN efMdy vkkQI j lk; b{kd@ed; l fodkl o tuin ukMy vf/kdkjh

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

[mchjsy@gmail.com](mailto:mchjsy@gmail.com)o [upnhmfru@gmail.in](mailto:upnhmfru@gmail.in) ij  
mi yC/k djk nh tk; A

### EkrRo I lrkg dsIk'pkr dh fji kVik

- 8 fnol iwlZgks tkus ij , 0, u, e0 iysmi dñnz ea xteokj I puk ik: i9ij HkjxhA
- mi dñnz dh I puk I dfyr djrs gq sCykH Lrj dh I puk ik: i10ij CykH dh I puk Hkjh tk; xh
- CYkH dh I puk I dfyr djrs gq ik: i11 ij tuin dh I puk Hkjh tk; xh

### EkrRo I lrkg dscln dk dk;z

- iR; d midñnz ij , 0, u0, e }jk xHkbh efgykva dh I elr I puk jftLVj ea vfdr dh tk; xhA bl jftLVj ea ntz xHkbh efgykva dh tkp iR; d ekg djrs gq sml s v|kof/kd j[kk tk; xk vlg mudks LoLFk o ik"kr j[kus dk iż kl tkjh j[kk tk; xkA vkkkeh ekgva ea u; h xHkbh efgykva dh I puk Hkjh bl h jftLVj ea ntz fd;k tkuk I quf'pr fd;k tk; xkA
- EkrRo I lrkg dh I ekflr ds,d fnu ds vñnj ik: i 9dk s Hkjrs gq sCykH Lrjh; fji kVz i"kr dh tk; xhA
- EkrRo I lrkg dh I ekflr ds nks fnu ds vñnj Hkjrs gq s tuin Lrjh; fji kVz i"kr ik: i 10 ea dh tk; xhA
- HRP efgykva dh gj ekg , 0, u0, e0 }jk vi us {ks ea tkp dh tk; xh vlg vko'; drk iMsij I keqkf; d LokLF; dñnz ij mi yC/k 102 , EC; yH dk iż ks djrs gq Hkrh vlg bykt djk; k tk; xkA bu efgykva dks iż o gksu rd rFkk vko'; drk iMsij 42 fnu rd I Rkr-QkVks/i ej [kk tk; xk vlg budks [krjs l sckgj fudkyus dk iż kl fd;k tk; xkA

ukV% mfYyf[kr mDr 11 ik: ikaVfr I yXu% dh I kV dkih jkVh; LokLF; fe'ku] jkT; dk; Zde icWku bdlbz ds ekr LokLF; vuHkx }kj I elr e[; fpfdRI k/kdkjh@ftyk dk; Zde icWkd jkVh; LokLF; fe'ku dks iFkd Is mi yC/k djk; h tk; xhA

ftyk/kdkjh@e[; fodkl  
vf/kdkjh@e[; fpfdRI k  
vf/kdkjh@CykH fpfdRI k  
iHkjh

ftyk/kdkjh@e[; fodkl  
vf/kdkjh@e[; fpfdRI k  
vf/kdkjh@CykH fpfdRI k  
iHkjh

e[; fpfdRI k vf/kdkjh  
@CykH fpfdRI k iHkjh

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रारूप 1

मातृत्व सप्ताह— दिवसवार लाभार्थी सूची एवं टेली शीट

दिनांक :

कॉलम 1-6 मातृत्व सप्ताह के पूर्व भरे जायेंगे, कॉलम 7-20 मातृत्व सप्ताह के दौरान भरे जायेंगे

जनपद का नाम

ब्लॉक का नाम

सी0एच0सी / बी0पी0एच0सी

उपकेन्द्र का नाम

ए0एन0एस0 का नाम

ए0एन0एस का नोबाइल नं

गांव व सत्र स्थल का नाम

आशा का नाम

आशा का नो ० न०

आशा एवं आंगनबाड़ी के सहयोग से भरा जाए

क्रम संख्या	मातृत्व सप्ताह के पूर्व भरा जायेगा						प्रसव पूर्व सेवा—(कृपया सेवा प्रदान करने के पश्चात अंकित करें)														
	गर्भवती महिला का नाम	गर्भवती महिला का नाम	महिला के पति का नाम	उम्र	जाति— सामाजिक, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	सत्र पर की जाने वाली प्रसव पूर्व जांच की संख्या (पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी )	पंजीकरण			प्रसव पूर्व जाचे						प्रसव पूर्व देखभाल/पोषण					
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनको मातृत्व दिवस के दौरान सेवा दी जानी है.....						कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनको मातृत्व दिवस के दौरान सेवा दी गई.....						कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जो हाई रिस्क निकली.....									
(उपरोक्त सूचना उपकेन्द्र के हर गांव की मातृत्व सप्ताह से पूर्व सकलित की जायेगी और स्वीकृत कायालय पर ए0एन0एस द्वारा भेजी जायेगी।)						(उपरोक्त सूचना हर गांव के लिये मातृत्व दिवस के दिन सकलित की जायेगी और स्वीकृत मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षक को दिवस की समाप्ति पर ए0एन0एस द्वारा भेजी जायेगी।)															

# नयी गर्भवती महिलाये जिनका पहली बार पंजीकरण हो रहा है उनका यह कॉलम ब्लॉक से न० लेने के पश्चात भरा जायेगा। पूर्व से पंजीकृत महिलाओं का नम्बर आशा के पास होगा जिसे वह पहले से भरेगी।

आशा का हस्ताक्षर

आंगनबाड़ी कार्यक्रम का हस्ताक्षर

ए0एन0एस का हस्ताक्षर

स्वीकृत मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षक का नाम , हस्ताक्षर व अनुश्रवण का समय

आई0सी0डी0एस0 विभाग की मुख्य सेविका /अन्य विभाग के अधिकारी का नाम , हस्ताक्षर व अनुश्रवण का समय

जनपद नोडल अधिकारी नाम , हस्ताक्षर व अनुश्रवण का समय

मातृत्व दिवस वाले दिन इस सूचना को अनुश्रवण अधिकारी द्वारा सत्र ब्रेन के समय भरा जायेगा।

**प्रारूप 2**

**मातृत्व सप्ताह- ए०एन०एम० उपकेन्द्र कार्य योजना**

**यह प्रारूप मातृत्व सप्ताह के पूर्व ए०एन०एम० द्वारा भरा जायेगा तथा ब्लॉक कार्यालय को क्लस्टर बनाने हेतु भेजा जायेगा**

ब्लॉक :	प्रभारी चिकित्सा प्रकारी :								
प्रा.स्था.केन्द्र / शहरी क्षेत्र :	ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षक का नाम :								
ए०एन०एम० का नाम	ए०एन०एम० का मोबाइल न०								
क्रम संख्या		बुधवार	बृहस्पतिवार	शुक्रवार	शनिवार	रविवार	सोमवार	मंगलवार	बुधवार
		27.01.2016	28.01.2016	29.01.2016	30.01.2016	31.01.2016	1.2.2016	2.2.2016	3.2.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गांव का नाम								
2	सत्र स्थल का स्थान								
3	सत्र दिवस								
4	सत्र सम्बन्धित आशा का नाम								
5	आशा का मोबाइल न०								
6	सत्र सम्बन्धित आंगनबाड़ी का नाम								
7	आंगनबाड़ी कार्यकारी का मोबाइल न०								
8	आंगनबाड़ी सहायिका का नाम								
9	ग्राम प्रधान का नाम								
10	ग्रामवार कुल लक्षित गर्भवती महिलाओं की संख्या (यह सूचना प्रारूप 1 के कुल योग से आयेगी )								
11	उपकेन्द्र में कुल विन्हाँकित गर्भवती महिलाओं की संख्या(कम संख्या 10 में दिये गये सभी गांवों की कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या को जोड़ते हुये )								

ए०एन०एम का हस्ताक्षर..... ब्लॉक चिकित्साप्रभारी का हस्ताक्षर.....

**प्रारूप 3**  
**मातृत्व सप्ताह— ब्लॉक स्तरीय पर्यवेक्षण योजना**

यह प्रारूप मातृत्व सप्ताह के पूर्व ब्लॉक चिकित्साप्रभारी की अध्यक्षता में भरा जायेगा तथा इसकी एक प्रति मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय व एक प्रति जनपद स्थित कन्ट्रोल रूम में भेजी जायेगी

ब्लॉक का नाम	जनपद का नाम		
ब्लॉक का नाम (5 उपकेन्द्र पर एक)	उपकेन्द्र का नाम	पर्यवेक्षक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का नाम	पर्यवेक्षक मुख्य सेविका का नाम
ब्लॉक 1	उपकेन्द्र 1.....		
	उपकेन्द्र 2.....		
	उपकेन्द्र 3.....		
	उपकेन्द्र 4.....		
	उपकेन्द्र 5.....		
ब्लॉक 2	उपकेन्द्र 6.....		
	उपकेन्द्र 7.....		
	उपकेन्द्र 8.....		
	उपकेन्द्र 9.....		
	उपकेन्द्र 10.....		
ब्लॉक 3	उपकेन्द्र 11.....		
	उपकेन्द्र 12.....		
	उपकेन्द्र 13.....		
	उपकेन्द्र 14.....		
	उपकेन्द्र 15.....		
ब्लॉक 4	उपकेन्द्र 16.....		
	उपकेन्द्र 17.....		
	उपकेन्द्र 18.....		
	उपकेन्द्र 19.....		
	उपकेन्द्र 20.....		
ब्लॉक 5	उपकेन्द्र 21.....		
	उपकेन्द्र 22.....		
	उपकेन्द्र 23.....		
	उपकेन्द्र 24.....		
	उपकेन्द्र 25.....		

ब्लॉक स्तरीय बाल विकास परियोजना अधिकारी के हस्ताक्षर	ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी का हस्ताक्षर
--	-------------------------------------

**प्रारूप 4**

**मातृत्व सप्ताह— ब्लॉक स्टरीय दिवसवार सत्र माइकोप्लान**

ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी का नाम.....

बाल विकास परियोजना अधिकारी का नाम.....

यह प्रारूप मातृत्व सप्ताह के पूर्व ब्लॉक चिकित्साप्रभारी व बाल विकास परियोजना द्वारां मातृत्व दिवस के पूर्व 5 प्रतियों में भरा जायेगा प्रत्येक ब्लॉक पर 8 दिवसों के 8 प्रारूप भरे जायेंगे

प्रारूप की एक प्रति ब्लॉक कार्यालय पर रख जायेगी, एक प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी, एक मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय व एक प्रति जनपद स्थित कन्ड्रोल रुम में भेजी जायेगी

**दिवस ..... तिथि.....दिन.....(उदाहरण —मातृत्व सप्ताह का पहला दिन, 27/01/2016 बुधवार )**

क्लस्टर संख्या	क्लस्टर मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षक का नाम व मोबाइल न0 (प्रारूप 3 की सूचना के आधार पर)	पर्यवेक्षक मुख्य सेविका का नाम व मोबाइल न0	उपकेन्द्र संख्या	ए0एन0एम	आगनबाई कार्यक्रमी	आशा	मातृत्व दिवस गांव में किस स्थल पर संचालित किया जा रहा है (यह सूचना प्रारूप 2 के क्रम संख्या 2 के कुल योग से आयेगी)	उपकेन्द्र के अन्वर आने वाली चिह्नांकित गर्भवती महिलायें की संख्या जिनको सेवा दी जानी है(यह सूचना प्रारूप 1 के कुल योग से आयेगी)
			1					
			2					
			3					
			4					
			5					
			6					
			7					
			8					
			9					
			10					
			11					
			12					
			13					
			14					
			15					
			16					
			17					
			18					
			19					
			20					
			21					
			22					
			23					
			24					
			25					

बाल विकास परियोजना अधिकारी का हस्ताक्षर.....

ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी का नाम व हस्ताक्षर.....

**प्रारूप 5**

**मातृत्व सप्ताह— जनपद स्तरीय पर्यवेक्षण प्लान**

जिलाधिकारी का नाम .....

मुख्य विकास अधिकारी का नाम.....

यह प्रारूप मातृत्व सप्ताह के पूर्व ब्लॉक मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नोडल अधिकारियों हेतु बनाया जायेगा।

क्रम संख्या	ब्लॉक का नाम	कलस्टर की सूचना		नोडल अधिकारी संबंधी सूचना	ब्लॉक में कुल चिन्हांकित गर्भवती महिलाओं की संख्या
		कलस्टर संख्या	कलस्टर मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षक का नाम (प्रारूप 3 की सूचना के आधर पर)		
		1		ब्लॉक में अनुश्रवण हेतु नामित नोडल अधिकारी का नाम	नोडल अधिकारी की मातृत्व सप्ताह के दौरान भ्रमण की तिथियां
		2			
		3			
		4			
		5			
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
<b>जनपद का कुल योग</b>					

मुख्य चिकित्सा अधिकारी का हस्ताक्षर

मुख्य विकास अधिकारी का हस्ताक्षर.....

जिलाधिकारी का हस्ताक्षर .....

**प्रारूप 6**  
**नियुक्ति पत्र**  
**नियुक्ति पत्र—ब्लॉक स्तरीय मेडिकल ऑफिसर**

सेवा में,  
डॉ/ श्री/ श्रीमती  
पदनाम—  
पता—

राज्य पोषण मिशन के तत्वाधान में प्रदेश के समस्त गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु एक अभियान दिनांक नाम — श्री/ श्रीमती पदनाम— ब्लाक/ वार्ड संख्या— के वलस्टर संख्या— का पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है।

आपसे अपेक्षित है कि उपर्युक्त अभियान के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कर अभियान को सफल बनायेंगे। आपकी सहायतार्थ मुख्य सेविका सुश्री/ श्रीमती.....मो० नं०—..... को आपके साथ सम्बद्ध किया जाता है।

संलग्नक —

1. आठ दिवसों का दिवसवार सत्र प्लान से सम्बन्धित सूचना
2. वलस्टर में आने वाले 5 उपकेन्द्रों की ए०ए०ए० की कार्ययोजना
3. वलस्टर का रिपोर्टिंग प्रारूप

जिलाधिकारी

प्रतिलिपि—मुख्य चिकित्सा प्रभारी ब्लाक ..... को सभी सम्बन्धित को सूचित करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी

**प्रृष्ठा 6**  
**नियुक्ति पत्र**  
**नियुक्ति-पत्र-जनपद स्तरीय नोडल ऑफिसर**

सेवा में,  
श्री / श्रीमती  
पदनाम—  
पता—

राज्य पोषण मिशन के तत्वाधान में प्रदेश के समस्त गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु हेतु एक अभियान  
दिनांक ..... 2015 से ..... 2015 तक चलाया जा रहा है। एतद्वारा

नाम — श्री / श्रीमती                    पदनाम—                    ब्लाक / वार्ड संख्या—                    का पर्यवेक्षक नियुक्त  
किया जाता है।

आपसे अपेक्षित है कि उपर्युक्त अभियान के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक ..... द्वारा दिये गये निर्देशों  
का अक्षरतः अनुपालन सुनिश्चित कर अभियान को सफल बनायेंगे। आपकी सहायतार्थ मुख्य सेविका  
सुश्री / श्रीमती.....मो० नं०—..... को आपके साथ सम्बद्ध किया जाता है।

संलग्नक —  
8 दिवसों का दिवसवार सत्र प्लान से सम्बन्धित सूचना

जिलाधिकारी  
प्रतिलिपि—ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी, ब्लाक ..... को सभी सम्बन्धित को  
सूचित करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी

**प्रारूप 7**

**मातृत्व सप्ताह- ब्लॉक स्तरीय दैनिक रिपोर्टिंग**

इस प्रारूप पर सूचना मातृत्व सप्ताह के हर दिन क्लस्टर मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षक द्वारा ए०एन०एम से लेते हुये बनायी जायेगी।

दिवस.....

तिथि.....

क्लस्टर मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षक का नाम

क्लस्टर पर्यवेक्षक मुख्य सेविका का नाम

क्लस्टर संख्या	गांव का नाम	ए०एन०एम का नाम	ग्रामवार कुल लक्षित गर्भवती महिलाओं की संख्या	ग्रामवार कुल चिन्हित महिलाओं की संख्या जिनकी मातृत्व दिवस के दिन जांच हुई	ग्रामवार कुल चिन्हित महिलाओं की संख्या जो <b>High risk pregnancy</b> निकली
1					
2					
3					
4					
5					
<b>ब्लॉक का कुल योग</b>					

क्लस्टर मेडिकल ऑफिसर पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर

ब्लॉक चिकित्साप्रभारी का हस्ताक्षर.....

## प्रारूप 8

### मातृत्व सप्ताह— जनपद स्तरीय दैनिक रिपोर्टिंग

इस प्रारूप पर सूचना मातृत्व सप्ताह के हर दिन ब्लॉक से संकलित करते हुये जनपद पर प्रेषित की जायेगी।

दिवस.....

तिथि.....

क्रम संख्या	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी का नाम	ब्लॉकवार कुल लक्षित गर्भवती महिलाओं की संख्या	ब्लॉकवार कुल चिन्हित महिलाओं की संख्या जिनकी मातृत्व दिवस के दिन जांच हुई	ब्लॉकवार कुल चिन्हित महिलाओं की संख्या जो High risk pregnancy निकली
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
जनपद का कुल योग					

मुख्य चिकित्सा अधिकारी का हस्ताक्षर

प्रारूप 9

ए०एन०एम का हस्ताक्षर.....

## **ब्लॉक चिकित्साप्रभारी का हस्ताक्षर.....**

प्रारूप 10  
ब्लॉक रिपोर्टिंग प्रारूप

इस प्रारूप पर सूचना मातृत्व सप्ताह की समाप्ति पर ब्लॉक चिकित्साप्रभारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के कन्फ्रोल रूम व मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी।

ब्लॉक का नाम.....						जनपद का नाम .....								
उपकेन्द्र का नाम	गांव में कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या	गर्भवती महिलाये जो संवार्ये लेने आयी	गर्भवती महिलाये जिनका रक्तचाप लिया गया	गर्भवती महिलाये जिनका वजन लिया गया	गर्भवती महिलाये जिनकी खून की जांच की गई	हीमोग्लोबिन की जांच	गर्भवती महिलाये जिनके पेट की जांच की गई	गर्भवती महिलाये जिनकी मूत्र की जांच एवंग्लूकोस के लिये की गई	गर्भवती महिलाये जिनकी मूत्र की गाँध शुगर के लिये की गई	गर्भवती महिलाये जिनको भातु शिशु सुंस्का कार्ड दिया गया	गर्भवती महिलाये जिनको आयरन की गोलिया वितरित की गई	गर्भवती महिलाये जिनको टिटरेस की टीका दिया गया	गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनमें किसी प्रकार की जटिलता पायी गई	जटिलता से ग्रसित महिलाओं की संख्या जिनको चिकित्सा ईकाई भेजा गया
	गर्भवती महिलाये जिनमें एनीमिया है(<11 gm%)	गर्भवती महिलाये जो गंभीर एनीमिया से ग्रसित है(<7 gm%)										100	200	
उपकेन्द्र 1														
उपकेन्द्र 2														
उपकेन्द्र 3														
उपकेन्द्र 4														
उपकेन्द्र 5														
उपकेन्द्र 6														
उपकेन्द्र 7														
उपकेन्द्र 8														
उपकेन्द्र 9														
उपकेन्द्र 10														
उपकेन्द्र 11														
उपकेन्द्र 12														
उपकेन्द्र 13														
उपकेन्द्र 14														
उपकेन्द्र 15														
उपकेन्द्र 16														
उपकेन्द्र 17														
उपकेन्द्र 18														
उपकेन्द्र 19														
उपकेन्द्र 20														
उपकेन्द्र 21														
उपकेन्द्र 22														
उपकेन्द्र 23														
उपकेन्द्र 24														
उपकेन्द्र 25														

ब्लॉक का कुल योग

ब्लॉक चिकित्साप्रभारी का हस्ताक्षर.....

प्रारूप 11  
जनपद रिपोर्टिंग प्रारूप

इस प्रारूप पर सूचना मातृत्व सप्ताह की समाप्ति पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संकलित की जायेगी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवाने के पश्चात परिवार कल्याण निदेशालय को प्रेषित करायी जायेगी।

उपक्रम का नाम	गांव में कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या	गर्भवती महिलाये जो सेवाएं लेने आयी	गर्भवती महिलाये जिनका रक्तचाप लिया गया	गर्भवती महिलाये जिनका वजन लिया गया	गर्भवती महिलाये जिनकी खून की जांच की गई	हीमोग्लोबिन की जांच	जनपद का नाम										
							गर्भवती महिलाये जिनके पेट की जांच की गई	गर्भवती महिलाये जिनके जांच एवं एव्यूमेन के लिये की गई	गर्भवती महिलाये जिनकी शुद्ध शिशु सुंख्या कार्ड दिया गया गया	गर्भवती महिलाये जिनको भात शिशु सुंख्या कार्ड दिया गया गया	गर्भवती महिलाये जिनको आयरन की गोलिया वितरित की गई	गर्भवती महिलाये जिनको टिटनेस की टीका दिया गया	गर्भवती महिलाये जिनके किनी प्रकार की उत्तिलता पायी गई	गर्भवती महिलाये जिनको इंकाई भेजा गया			
ख्लौंक का नाम 1																	
ख्लौंक का नाम 2																	
ख्लौंक का नाम 3																	
ख्लौंक का नाम 4																	
ख्लौंक का नाम 5																	
ख्लौंक का नाम 6																	
ख्लौंक का नाम 7																	
ख्लौंक का नाम 8																	
ख्लौंक का नाम 9																	
ख्लौंक का नाम 10																	
ख्लौंक का नाम 11																	
ख्लौंक का नाम 12																	
ख्लौंक का नाम 13																	
ख्लौंक का नाम 14																	
ख्लौंक का नाम 15																	
जनपद का कुल योग																	

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर.....

मुख्य विकास अधिकारी के हस्ताक्षर.....